Void Agreement (शून्य समझौता)

📌 परिभाषा

Void Agreement वह समझौता है जो शुरू से ही कानून की दृष्टि में अमान्य (Invalid) होता है और जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता।

भारतीय कानून में, Indian Contract Act, 1872 की धारा 2(g) के अनुसार —

“An agreement not enforceable by law is said to be void.”

अर्थात् जो समझौता कानून द्वारा लागू (enforce) नहीं किया जा सकता, वह शून्य (void) है।

📌 मुख्य विशेषताएँ (Features)

शुरुआत से ही अमान्य (Void ab initio)

किसी पक्ष पर कानूनी दायित्व नहीं

अदालत में लागू नहीं किया जा सकता

अवैध उद्देश्य या आवश्यक तत्वों की कमी

📌 उदाहरण (Examples)

अवैध कार्य करने का समझौता (जैसे चोरी करना)

नाबालिग (Minor) के साथ किया गया समझौता

ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य कानून के विरुद्ध हो

📌 Void Agreement और Void Contract में अंतर

आधार	Void Agreement	Void Contract
स्थिति	शुरू से ही अमान्य	पहले वैध, बाद में अमान्य
प्रभाव	कभी लागू नहीं होता	बाद में लागू होना बंद हो जाता है